Dr. Kaushal Kumar
BA-I
Eco-D

Q. व्यवसायिक बैंक किस प्रकार साख का निर्माण करता है? उसकी साख-निर्माण की शक्ति की क्या सीमाएँ हैं?

How do Commercial banks create credit? What are the limitation of their power to create credit?

'व्यवसायिक बैंक परिसम्पत्ति का ग्रहण करके ही दायित्व का सृजन करता है।' व्याख्या कीजिए। क्या बैंकों की साख-निर्माण की शक्ति की सीमाएँ भी हैं?
('A Commercial bank creates liabilities by acquiring assets. Discuss. Are there any limitation of the power of banks to create credit?')

Ans:- अंग्रेजी का 'Credit' शब्द 'Credo' शब्द से निकलता है, जिसका अर्थ होता है "मैं विश्वास करता हूँ।" इस प्रकार 'साख' शब्द का मतलब विश्वास अथवा भरोसा से है। जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। लेकिन 'साख' शब्द का यह व्यापक अर्थ है। अर्थशास्त्र में 'साख' शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया जाता है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने अथवा भुगतान करने की क्षमता में विश्वास होता है। साख शब्द के सम्बन्ध पर तीन बातों पर विचार किया जाता है — (1) ऋण की राशि, (2) समय तथा (3) व्यक्ति का चरित्र एवं ऋण की राशि लौटाने की क्षमता में विश्वास।

प्रो० केन्ट (Kent) के अनुसार "माँग किये जाने पर किसी समय भविष्य में मौजूदा हस्तांतरित वस्तुओं के बदले भुगतान लेने के अधिकार अथवा भुगतान देने की जिम्मेदारी को साख कहते हैं।"
(Credit may be defined as the right to receive payment are the obligation to make payment on demand at some future time on account of the immediate transfer of goods)

प्रो० गीड (Gide) के शब्दों में "साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित काल की समाप्ति के बाद भुगतान किये जाने पर पूरा हो जाता है।" (it is an Exchange which is complete after the expiry of a certain period of time after payment.)

Con.

बैंक साख का निर्माण निम्न प्रकार से करता है:

1. नकद जमा द्वारा साख निर्माण (By accepting cash deposits):— व्यवसायिक बैंक अपने ग्राहकों से नकद जमा के रूप में स्वीकार कर साख का सृजन करता है। ग्राहकों से प्राप्त नकद मुद्रा बैंक की सम्पत्ति (Asset) होती है। लेकिन जब बैंक उसे ग्राहकों के खाते में जमा कर देता है, तो वह उसका दायित्व (Liability) भी हो जाता है। इस प्रकार के जमा को प्राथमिक जमा (primary deposits) कहते हैं। यहाँ स्मरणीय है कि नकद जमा से समाज की कुल मुद्रा की पूर्ति में कोई वृद्धि नहीं होती है। केवल ग्राहक के हाथ से मुद्रा हस्तांतरण बैंक के हाथ में जाता है। लेकिन नकद जमा का महत्व इस बात में है कि इसी के आधार पर बैंक ऋण देकर अथवा प्रतिभूतियों एवं अन्य प्रकार की सम्पत्तियों को खरीद कर और अधिक बैंक जमा अथवा साख का निर्माण करते हैं।

(ii) बैंक नोटों का निर्गमन करके (By issuing bank-notes):— बैंक कागजी नोटों का निर्गमन करके साख का निर्माण करता है। पहले नोटों को जारी करने का अधिकार व्यवसायिक बैंक को भी था, लेकिन अब यह अधिकार केन्द्रिय बैंक को है। अब बैंक-नोटों का निर्गमन करके केवल केन्द्रिय बैंक ही साख का निर्माण कर सकता है। केन्द्रिय बैंक द्वारा जारी किये गये नोटों का थोड़ा-सा प्रतिशत ही धात्विक कोष के रूप में रखा जाता है और शेष नोटों के पीछे केवल प्रतिभूतियाँ ही रखी हैं। लेकिन केन्द्रिय बैंक द्वारा जारी किये गये सभी नोट मुद्रा की तरह ही चलते हैं; क्योंकि केन्द्रिय बैंक में लोगों का विश्वास रहता है। इस प्रकार केन्द्रिय बैंक द्वारा जारी किये जाने वाले नोटों का वह भाग जिसके पीछे धात्विक कोष नहीं होता है केन्द्रिय बैंक द्वारा जारी किये जाने वाला नोट एक प्रकार का साख है।

(iii) ग्राहकों को ऋण देकर (By giving loans to customers):— बैंक अपने ग्राहकों को ऋण साख का सृजन करते हैं। साख सृजन का यह सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के कारण ही नयी साख अथवा बैंक जमा का

Con.

Dr. Kaushal Kumar
BA-I
Eco-II

व्यवसायिक बैंक अथवा आधुनिक बैंक के प्रमुख कार्य निम्न हैं:—

1. जमा स्वीकार करना (Acceptance of Deposits):— लोगो की बचत को जमा के रूप में स्वीकार करना व्यवसायिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। समाज के अधिकांश व्यक्ति ~~अथवा~~ अपनी वर्तमान आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं। इसके अतिरिक्त आय को सुरक्षा की दृष्टि से बैंको में जमा करते हैं, जमा भी बैंक द्वारा उन्हें ब्याज भी मिलता है। बैंक के लिए भी इस प्रकार का जमा विशेष महत्व का होता है, क्योंकि बैंक को कार्यशील पूँजी इसी जमा से प्राप्त होती है। व्यवसायिक बैंक प्रायः तीन प्रकार के खातों में रकम जमा करते हैं।

(i) स्थायी जमा खाता (Fixed Deposite Account):— इस प्रकार के खाते में एक निश्चित अवधि के लिए रकम जमा की जाती है। यह अवधि तीन महीने से लेकर दस वर्ष की होती है। निश्चित अवधि के पूर्व इस खाते से किसी प्रकार की लेन-देन नहीं हो सकती है। इस प्रकार के जमा को 'सावधिक जमा' (Time Deposit) भी कहा जाता है। इस जमा पर बैंक आकर्षक ब्याज देता है।

(ii) चालू जमा खाता (Current Deposit Account):— इस प्रकार खाते की विशेषता यह है कि इसमें रूपये जमा या निकासी पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता है। जमाकर्ता अपनी इच्छानुसार कभी भी रूपये जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। अतः चालू जमा को 'माँग जमा' (Demand Deposit) भी कहा जाता है। इस प्रकार खाते पर बैंक बहुत कम ब्याज देती है। यह खाता बड़े-बड़े उद्योगपतियों तथा संस्थाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि उन्हें दिनभर में प्रायः कई चेक काटने होते हैं।

(iii) संचयी जमा (Saving Deposite Account):— ऐसी खाते में रकम जमा करने की छूट होती है, परन्तु रूपये निकासी पर प्रतिबन्ध होता है। सप्ताह में केवल एक या दो बार इस खाते से निकासी हो सकता है, साथ ही साथ एक निश्चित सीमा से अधिक रकम निकालने के लिए बैंक को पूर्व सूचना देनी पड़ती है। इस जमा पर बैंक साधारण बैंक ब्याज (Moderate interest) देती है।

(iii) संचयी जमा खाते (Saving Deposite Account):— इस खाते में रूपया जमा करने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है। परन्तु राशि (रूपये) निकासी पर प्रतिबन्ध होता है। सप्ताह में एक या दो बार ही रूपया निकाली जा सकती है। साथ ही साथ एक निश्चित राशि की सीमा से अधिक निकासी ~~पर~~ के पूर्व बैंक को सूचना देनी पड़ती है। इस जमा पर बैंक साधारण ब्याज देता है।

(2) ऋण या कर्ज देना (Advancing of loans): यह व्यवसायिक बैंक का दूसरा मुख्य कार्य है। ऋण लेने वाले व्यक्तियों से बैंक ब्याज लेता है जिसे वह अपने ग्राहकों के जमा पर देता है। उन दोनो का अन्तर ही उसका लाभ या मुनाफा होता है। बैंक प्रायः उत्पादक कार्यों के तथा उचित जमानत पर ऋण देता है। ऋण की रकम ऋणी के खाते में जमा कर दी जाती है, जिसे वे चेक आदि के द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार बैंक से निकाल सकते हैं।

व्यवसायिक बैंकों द्वारा ऋण देने के प्रायः निम्नलिखित तरीके हैं:—

(i) नकद साख (Cash Credit):— जब बैंक अपने ग्राहकों को व्यापारिक माल या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत के आधार पर ऋण देता है तब इसे नकद साख कहते हैं। जमानत के आधार पर ग्राहकों के लिए ऋण की अधिक सीमा निर्धारित कर दी जाती है। ऋणी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह ऋण की सम्पूर्ण राशि एक ही किस्त (राशि) में निकाल लें। वह अपनी आवश्यकतानुसार समय-समय पर रूपया निकाल सकते हैं। ऋणी को उतनी ही राशि का ब्याज देना पड़ता है।

(ii) अधिविकर्ष (Overdraft): इसके अन्तर्गत बैंक अपने ग्राहकों को उसके चालू खाते में जमा रकम से अधिक निकालने की सुविधा देता है। यह अतिरिक्त रकम ही अधिविकर्ष कहलाती है। इस प्रकार की सुविधा बैंक अल्पकाल के लिए केवल अपने पुराने तथा विश्वासी ग्राहकों को ही देता है। बैंक उचित जमानत पर ही अधिविकर्ष की सुविधा देता है तथा इस पर ब्याज भी अधिक लेता है।